

कार्यालय  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,  
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सेक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-6294/

659

दिनांक: 12-5-2015

सेवा में

वन मण्डल अधिकारी,  
फरीदाबाद ।

विषय: Diversion of 0.0106 ha. of forest land for access to retail outlet of H.P.C. Ltd. along Badkhal-Surajkund road, km. 3.5, L/side, at Village Sarai Khwaja, under forest division and District Faridabad, Haryana.

संदर्भ: वन संरक्षक, दक्षिणी का पत्र क्रमांक 213 दिनांक 28-4-2015 ।

विषयोक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं जिन्हें दूर करके सही सूचना तुरन्त इस कार्यालय को भेजें तथा सम्बन्धित/अपेक्षित प्रपत्र भी 3-3 प्रतियों में भेजें :-

1. लैटर आफ इन्टैन्ट ।
2. लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) का एन0ओ0सी0 ।
3. प्रतिपूर्ति पौधारोपण के लिए सड़क की बजाए अन्य क्षेत्र का चयन करके तदानुसार सी0ए0 साईट मैप व भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र 3-3 प्रतियों में इस कार्यालय को भेजें । भारत सरकार द्वारा सड़कों के साथ-साथ प्रतिपूर्ति पौधारोपण न करने के निर्देश दिए गए हैं ।
4. आप द्वारा भेजे गए भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र में 1105 पौधे किस आधार पर अंकित किए हैं जबकि इस केस में केवल 29 पौधे लगाए जाने बनते हैं ।

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0)  
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,  
पंचकुला ।

पृ0क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-6294/ 660

दिनांक: 12-5-2015

एक प्रति वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुड़गांव को प्रेषित है ।

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0)  
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,  
पंचकुला ।